

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

E-mail : hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : 1931 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल /

दिनांक: २७ .10.2026

विषय:- सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2026 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।

कृपया दिनांक 17.10.2026 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

पत्रांक / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / तददिनांक : -

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०एवंप्र०वि०), पिटकुल देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथा उपरोक्त।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)

कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2026 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के कार्मिक ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए।

कार्मीकों की उपस्थिति

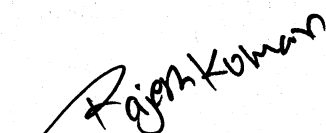
1. श्री अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0)।
2. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)।
3. श्री राजेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी।

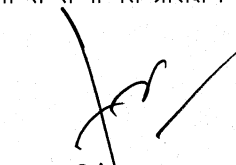
विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:-

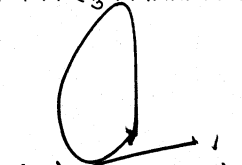
क्र० सं०	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0 अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा-निर्देश
1.	श्री अजय अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता	31.05.2025	मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, रुड़की	प्रकरण दिनांक 15.10.2026 को प्रशासनिक अनुमति हेतु मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग में प्रेषित किया गया है।	प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	श्री राम किशोर शर्मा, अवर अभियन्ता	31.08.2026	220 के०वी० परि० एवं अनु० खण्ड, रुड़की	प्रकरण दिनांक 16.10.2026 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया।

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके द्वारा प्रतिमाह प्रेषित किये जाने वाले संविदा कर्मियों का विवरण मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग, पिटकुल, देहरादून को सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का डाटाबेस अद्यतन (Update) करते हुए मुख्य अभियन्ता स्तर से संकलित कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा साथ ही डाटाबेस में कार्मिकों को आबंटित अतिरिक्त कार्यभार का विवरण भी अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. बैठक में उपस्थित कार्मिकों को उनके कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की वर्ष 2026-2027 हेतु के०पी०आई० के लक्ष्य निर्धारित कर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर से यथाशीघ्र प्रेषित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियन्ताओं की वर्ष 2026-27 हेतु के०पी०आई० के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, जिस कारण अन्य कार्मिकों के वर्ष 2026-2027 हेतु के०पी०आई० के लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। उक्त के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (मा०सं०), पिटकुल, द्वारा कार्मिकों को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्वयं के वर्ष 2026-2027 के के०पी०आई० लक्ष्य बनाकर सक्षम स्तर से निर्धारित करवाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त अपने नियन्त्रणाधीन कार्मिकों के भी के०पी०आई० लक्ष्य निर्धारित कर उपलब्ध करायें।
4. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को AI की महत्ता से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया।


(राजेश कुमार)
सहायक लेखाधिकारी


(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)


(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)